REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 4, 2004/अग्रहायण 13, 1926
No. 187] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 4, 2004/AGRAHAYANA 13, 1926

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2004

राष्ट्रीय इंजीनियर्स रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन बोर्ड (एनईआरएलबी) के सृजन के लिए विनियम

सं. एफ. क्यूए/इंजी.-रजि./051/2002.—अभातशिप अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 10, खंड (द) और (फ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभातशिप द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके दिनांक 9 अगस्त, 2004 के पत्र सं. 1-25/2003-टीएस.-II में दिए गए परामर्श के अनुसार तथा कन्सलिटंग इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं अन्य द्वारा भारत संघ एवं अभातशिप के विरुद्ध दायर डब्ल्यू. पी. (सिविल) सं. 755-756/2004 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 15 जुलाई, 2004 के आदेशों के अनुसरण में राष्ट्रीय इंजीनियर्स रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन बोर्ड (एनईआरएलबी) के सृजन के संबंध में परिषद् द्वारा इसकी दिनांक 19-04-2004 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित एवं 22-04-2004 को प्रकाशित विनियम एतद्द्वारा वापस लिए जाते हैं।

अनुराधा गुप्ता, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/162/2004-असाधारण]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2004

Regulation for creation of National Engineers Registration for Licensing Board (NERLB)

No. F. QA/ENGRS-REGN/051/2002.—In the exercise of powers conferred under clause (r) and (v) of Section 10 of AICTE Act, 1987 (52 of 1987) read with Section 23(1) of the Act, the AICTE, as per the advice of MHRD, Govt. of India vide letter No. 1-25/2003-TS.-II dated 9th August, 2004 and in pursuance of the Orders dated 15th July, 2004 of Hon'ble High Court of Delhi in W.P. (Civil) No. 755-756/2004 filed by Consulting Engineers Association of India and Another Vs. Union of India and AICTE, the regulations notified by the Council vide its notification dated 19-04-2004 published on 22-04-2004 regarding creation of National Engineers Registration and Licensing Board (NERLB) are hereby withdrawn.

ANURADHA GUPTA, Member-Secy.

[ADVT III/IV/162/2004-Exty.]

3601 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.